न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 37/18

1. रामचन्द्र पुत्र कृश्णलाल जाति बि नोई निवासी हाल चक 1 एमटीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थी

1. दौलतराम पुत्र कृश्णलाल जाति बि नोई निवासी हाल चक 1 एमटीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
3. उपपंजीयक खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाश्कगण :–

1. श्री दिलीप कुमार भार्मा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रफीक भााह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदे ा **दिनांक :– 28.01.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान का तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 1 एमटीएम का मु0न0 209/05 के किला नं0 4 ता 7 एवं 14 ता 17 तादादी 8.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी है जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परे ाानी होती है। जिसके लिए प्रार्थी को अप्राथी सं0 1 के मु0न0 209/5 के किला नं0 1 ता 3 , 8 ता 13 , 18 ता 20 कुल तादादी 16.10 बीघा के किला नं0 1,2,3 से 2–2 बिस्वा रास्ता से होकर अपने खेत के किला नं0 4 में प्रवे ा करता है। इसी मुरब्बा के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटान ाुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी किला नं0 1,2,3 में प ियम से पूर्व रास्ता कटान चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 19.07.2019 को अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जवाब पे ा किया जो भाामिल मिसल किया गया । उभयपक्ष बहस सुनी गई।

जिसमें अधिवक्ता ने जवाब पे ा किया और अप्रार्थी अधिवक्ता ने सभी कथनों को अस्वीकार किया एवं अपने कथनों में कहा कि यदि प्रार्थी रास्ता चाहता है तो उसे रास्ता के बदले चिपते अन्य किले से उसे 2–2 बिस्वा भूमि है। प्रार्थी यदि भूमि के बदले भूमि देना चाहता है तो अप्रार्थी सहमत है। अन्यथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोश चाहा।

वर्तमान में राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आव यकता आत्यंतिक आव यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदे ा द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी रा ि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक ा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पश्ट है कि प्रार्थी भूमि चक 1 एमटीएम का मु0न0 209/05 कि किला नं0 4 ता 7 एवं 14 ता 17 तादादी कुल 8 बीघा कमाण्ड दर्ज कागजात है। जिसके लिए प्रार्थी को अप्राथी सं0 1 के मु0न0 209/5 के किला नं0 1 ता 3 , 8 ता 13 , 18 ता 20 कुल तादादी 16.10 बीघा के किला नं0 1,2,3 से 2–2 बिस्वा रास्ता से होकर अपने खेत के किला नं0 4 में प्रवे ा करता है। इसी मुरब्बा के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटान ुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी किला नं0 1,2,3 में प ियम से पूर्व रास्ता कटान चाहता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । पटवारी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है।जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 209/05 के किला नं0 1 ता 3 में 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदे ा किया जाता है कि चक 1 एमटीएम के मु0न0 209/05 के किला नं0 1 ता 3 प िचम से पूर्व 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी रा ि अप्रार्थी को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी उक्त रा ि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त रा ि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदे ा की पालना सुनि िचत करें पत्रावली फैसल ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)